"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल 2018 — चैत्र 12, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

अधिसूचना
सं.10/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (27). – राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 8/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43-2017/वाक/पांच/(76), तारीख 28 जून, 2017 और छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 तारीख 25 अक्टूबर, 2017 में प्रकाशित, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 38/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-81-2017/वाक/पांच/(141), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, द्वारा संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "31 मार्च 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2018" अंक और शब्द रखा जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (27). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2018/वाक/पांच (27), दिनांक 23-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd March 2018

NOTIFICATION
No. 10/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-15/2018/CT/V (27). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 8/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V(76), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, and amended vide notification No.38/2017- State Tax (Rate) No. F-10-81/2017/CT/V (141), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 454, dated the 25th October, 2017, namely :-

In the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 2018", the figures, letters and words "30th day of June, 2018" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

अधिसूचना

सं. 14/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-15/2017/वाक/पांच (28). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है ।

   (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

   (i) नियम 45 के उपनियम (1) में, अंत में आने वाले "जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"और जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहां चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकेगा :

परंतु प्रधान द्वारा जारी चालान को, उस दशा में, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा :

परंतु यह और कि छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा :";

(ii) नियम 129 के उपनियम (6) में, "स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे लिखित में दिए गए कारणों से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 133 के उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(4) यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट रक्षोपाय महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि धारा 171 के उपबंधों का या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में और अन्वेषण किया जाना चाहिए या जांच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, रक्षोपाय महानिदेशक को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार और अन्वेषण या जांच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ।";

(iv) नियम 134 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"134. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना—(1) प्राधिकरण की बैठकों में गणपूर्ति उसके न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी ।

(2) यदि किसी बिंदु पर प्राधिकरण के सदस्यों की राय भिन्न-भिन्न है तो उस बिंदु का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।";

(v) नियम 137 के पश्चात्, स्पष्टीकरण के खंड (ग) मे, उपखंड ख के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"ग. नियम 128 के उपनियम (1) के अधीन ऐसा अभिकथन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या प्राप्त इनपुट प्रत्यय कर का फायदा कीमत में अनुरूप कटौती द्वारा प्राप्तिकर्ता को नहीं दिया है ।";

(vi) नियम 138घ के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'रेल द्वारा परिवहन किया गया', 'माल का रेल द्वारा परिवहन किया जाना', 'माल का रेल द्वारा परिवहन' और 'रेल द्वारा माल का संचलन' पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जहां रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है ।"।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (28). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2018/वाक/पांच (28), दिनांक 23-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd March 2018

NOTIFICATION
No. 14/2018 – State Tax

No. F-10- 15 /2017/CT/V (28) - In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of issue of this notification.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017,-

   (i) in rule 45, in sub-rule (1), after the words, "where such goods are sent directly to a job worker", occurring at the end, the following shall be inserted, namely:-

   ",and where the goods are sent from one job worker to another job worker, the challan may be issued either by the principal or the job workers ending the goods to another job worker:

   Provided that the challan issued by the principal may be endorsed by the job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal:

   Provided further that the challan endorsed by the job worker may be further endorsed by another job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal.";

   (ii) in rule 129, in sub-rule (6), for the words "as allowed by the Standing Committee", the words

"as may be allowed by the Authority" shall be substituted;

(iii) in rule 133, after sub-rule (3), the following sub-rules may be inserted, namely:-

"(4) If the report of the Director General of Safeguards referred to in sub-rule (6) of rule 129 recommends that there is contravention or even non-contravention of the provisions of section 171 or these rules, but the Authority is of the opinion that further investigation or inquiry is called for in the matter,it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to the Director General of Safeguards to cause further investigation or inquiry in accordance with the provisions of the Act and these rules.";

(iv) for rule 134, the following rule shall be substituted, namely:-

"134. Decision to be taken by the majority.- (1) A minimum of three members of the Authority shall constitute quorum at its meetings.

(2) If the Members of the Authority differ in their opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairman shall have the second or casting vote.";

(v) after rule 137, in the Explanation, in clause (c), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely : -

"c. any other person alleging, under sub-rule (1) of rule 128, that a registered person has not passed on the benefit of reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices.";

(vi), after rule 138D, the following Explanation shall be inserted, with effect from the 1st of April, 2018, namely :-

"Explanation. - For the purposes of this Chapter, the expressions 'transported by railways', 'transportation of goods by railways', 'transport of goods by rail'and 'movement of goods by rail' does not include cases where leasing of parcel space by Railways takes place.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

अधिसूचना

सं. 15/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (29). – राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-9-2018/वाक/पांच/22 तारीख 7 मार्च, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 93 मे तारीख 12 मार्च, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के नियम 2 के उपनियम (ii), खंड (7) के सिवाए, और नियम 2 के उपनियम (iii), उपनियम (iv), उपनियम (v), उपनियम (vi) और उपनियम (vii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (29). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2018/वाक/पांच (29), दिनांक 23-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd March 2018

NOTIFICATION
No. 15/2018 – State Tax

No. F-10- 15 /2017/CT/V (29). — In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby appoints the 1st day of April, 2018, as the date from which the provisions of sub-rule (ii) of rule 2, except clause (7), and sub-rules (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of rule 2 of State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 12/2018-State Tax, No. F-10-9/2018/CT/V(22), dated the 7th March, 2018 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 93, dated the 12th March, 2018, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

अधिसूचना

सं. 16/2018 – राज्य कर

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (30). – आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसमें पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2018	20 मई, 2018
2.	मई, 2018	20 जून, 2018
3.	जून, 2018	20 जुलाई, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय : प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाउल्लिखित अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, यथास्थिति, इलैक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

क्रमांक एफ-10- 15/2018/वाक/पांच (30). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2018/वाक/पांच (30), दिनांक 23-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd March 2018

NOTIFICATION
No. 16/2018 – State Tax

No. F-10- 15/2017/CT/V (30). – In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	April, 2018	20th May, 2018
2.	May, 2018	20th June, 2018
3.	June, 2018	20 th July, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as perFORM GSTR-3B: Every registeredperson furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 ofthe Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payableunder the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case maybe, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is requiredto furnish the said return.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.